


जिला
हैं उ
कर
पर
तथ
मुं
र

1156
28/11/22

मन्त्रालय। जमीन का सर्वेक्षण पत्र राजस्थान
कारतकारी अधिनियम 1955 की धारा
25A के तहत पोषणीय होने से
स्वीकार किया जाता है। किसान विस्तृत
जलवा से लिया जाकर पालना हेतु
तहसीलदार नेषण्ट को तहरीर जारी है।

पञ्जावली किसान शुभार्थ क्षेत्र वर्ज
मन्त्रालय के काम की जाकर वापिस दफ्त
ही।


उपखण्ड अधिकारी
रेवदर (राज०)